सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विधि अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्र सं0– 312 /विधि अनुभाग/....../ दिनांक– 13-02-2014

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक/मुख्य वास्तुविद नियोजक
समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक, ग्लोबल सेल
समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक/वास्तुविद नियोजक.
समस्त सहायक आवास आयुक्त/समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

विषयः **दिनांक 29 मार्च, 2014 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में परिषद के अधिकतम वादों का निस्तारण कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–218/आठ–5–2014–81 विविध 2013 दिनांक 04.01.2014 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 न्यायमूर्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों अन्तर्गत दिनांक 29 मार्च, 2014 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में परिषद से सम्बन्धित अधिकतम वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि परिषद के मा0 जिला न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक के लम्बित ऐसे समस्त वाद जिनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है उनको चिन्हित करते हुए कृपया अपनी आख्या सहित पत्रावली तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे कि उन प्रकरणों को शासन के निर्देशानुसार लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के सम्बन्ध में सामयिक निर्णय लिया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय

13/2

(आर0 बी0 राय)
मुख्य विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव आवास आयुक्त (म0) को महोदय के कृपापूर्ण अवलोकनार्थ।
2– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) को सूचनार्थ।

क्रमशः पृ0सं0–2

3– समस्त सहायक विधि अधिकारी/पटल सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पटल से सम्बन्धित समस्त ऐसे मामले अपनी टिप्पणी के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

4– श्री मनोज अग्रवाल, सहायक श्रेणी द्वितीय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्यालयों से आने वाले वादों की लिस्ट बनाये तथा ऐसे प्रकरण की तत्काल पटल सहायक को उपलब्ध करायें।

मुख्य विधि परामर्शी

प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या– 218 / आठ–5–2014–81विविध / 2013

प्रेषक,

शिव जनम चौधरी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2–अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ; दिनांकः 04 जनवरी, 2014

विषयः दिनांक 29 मार्च, 2014 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभाग से सम्बन्धित, अधिकतम वादों का निस्तारण करायें जाने हेतु सार्थक प्रयास करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक न्याय अनुभाग–7 (क0नि0) के पत्र संख्या–49 / सात–न्याय–7–2014–23 / 2013टी0सी0 दिनांक 15.01.2014 की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्नकर भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 29.03.2014 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभाग से सम्बन्धित अधिकाधिक वादों को चिन्हाकिंत करते हुये निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– न्याय अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 15.01.2014 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

c l go